सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 579 राँची, बुधवार, 25 श्रावण, 1938 (श०)

16 अगस्त, 2017 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

7 अगस्त, 2017

संख्या-4/स० भू० राँची-151/16-4107 /रा०--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **1 अगस्त**, **2017** में मद संख्या-**14** के रूप में लिये गये निर्णय अनुसार राँची जिलान्तर्गत अंचल-कांके मौजा-चुटू, थाना सं०-**164,** खाता सं०-**118** एवं प्लॉट सं०-**115** में अंतर्निहित कुल रकबा-**35.00** एकड़ गैरमजरुआ खास मालिक भूमि झारखण्ड विधायक एवं सांसद गृह निर्माण स्वावलम्बी सहकारी समिति लि० को गृह निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में ।

आदेशः- दिनांक **3 अगस्त, 2004** को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-**17** में स्वीकृत भूमि दर के आधार पर "झारखण्ड विधायक एवं सांसद गृह निर्माण स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०" को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, राँची प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) उपायुक्त, राँची द्वारा भूमि हस्तांतरण के पूर्व अधियाची समिति से विषयगत परियोजना मे सन्निहित कुल देय राशि का एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी ।

iii) उपायुक्त, राँची द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व पूर्ण राशि प्राप्त कर भू-हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी ।

iv) राजस्व विभागीय पत्रांक-**92/**स०को०, दिनांक **18 फरवरी, 2002** के आलोक में **12** बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाएगा ।

v) उपायुक्त, राँची यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

vi) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

vii) अन्य सभी शर्तें खास महाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

अनु०-यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 579--50